SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

ATTIM COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)
Case No2_SO [.201) Complaint or report made on
Name and address of the Complainant.
&110T h10094
Name , parentage, caste and address of accused
1- सामिव अमायव अमा उठ-३० याल मिना लग्डा
27 TOT 810 2 a) a cai 170 > 183 o) with him
3- 92/60 20 810 gler (Th G120 100 1261/11 d M) (hat - 4 - 62-
4- वावल 806ितान धारु 33-52 माल कि रिक्षिवला किला द्विला
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक1.61911)को करीब 151.42 बजे मुकाम
सार्वजनिक स्थान जिन्न के प्रति के कि कि की के में के में के में के पत्तों
से रूपये पैसे की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए।
ऐसा करके आपने सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 की धारा 13 के अधीन दण्डनीय
भागाः काचित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

संक्रीन गुरु

मावक निजन्दर क्या

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक <u>03 | 1111)</u> को घोषित)

01. अारोपी / गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजानक धुत 10. अरोपी / गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजानक धुत
01. अारापा / गण का स्वाच्छक रारपान्हरा अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध
अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत स्वच्छया स्पापगराज्य
कर केरी माने हम होष्रियद तहराया जाता है।
02 दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध आमलख पर पगर
पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को
दृष्टिगत रखते हुये आरोपी/गण को सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत
दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए अर्थदण्ड ! 50-100-3-400 रूपये (प्रत्येक
अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राषि के संदाय के
यतिकम की देषा में अभियुक्त/गण कोदिवस का साधारण कारावास भुगताया
जावें।
3. अभियुक्तगृण से जप्तषुदा राशि अपील अवधि पश्चात् राजसात्
त्री जाये तथा जप्तसुदा मूल्यहीन सम्पत्ति ताश <u>.()</u> पत्तों को नष्ट कर व्ययनित की
नाये। सुपुर्दगी पर दी गयी संपत्ति के संबंध में सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त
मझा जावे। अपील की दशा में मानं० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। जब्तशुदा
ान्य संपत्ति अपराध से संबंधित एवं
सकी विषय वस्तु न होने से जिस व्यक्ति से जब्त की गयी उसे लौटाई जावे।
- 전쟁(2000년 - 1998년

मेरे निर्देशन प्र टंकित

Judicial Magistrate First Class Gohad distt Bhind (M.P.)